2016/00176

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 122/2016 (अपील)

उनवान

ओमप्रकाश पुत्र श्री मोहनलाल जाति मीणा निवासी नीमोदा
तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– श्री हेमेन्द्र सिंह (अभिभाषक अपीलाण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी निर्णय दिनांक 15.12.2015 नायब तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 04.10.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एंव साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को ग्राम डडवाडा की आराजी ख0 नं0 227,228,229,230 रकबा 2.93 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी मानकर अपीलान्ट को उक्त आराजी से बेदखल करने का तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 4688/–रू0 तावान वसूल करने का तथा 60 दिवस (दो माह) का सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है । उपरोक्त आराजी ख0 नं0 227,228,229,230 रकबा 2.93 हैक्टर ग्राम डडवाडा की आराजी अपीलान्ट के पिता के खाते की आराजी है । उक्त आराजी सिवाय चक भूमि नही है ।उक्त आराज़ी को सीलिंग प्रकरण मे अधिग्रहण किया गया था जिसके विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे अपील सं0 78/90 मोहनलाल बनाम सरकार , अपील सं0 53/90 ओमप्रकाश बनाम सरकार, अपील सं0 532 प्रेमचन्द बनाम सरकार, अपील सं0 533 नन्दकिशोर बनाम सरकार आदि मे दिनांक 22.01.91 को निर्णय पारित कर उक्त अपील स्वीकार कर परगना अधिकारी कोटा का निर्णय दिनांक 03.05.72 निरस्त किया गया है । इस प्रकार उक्त भूमि सीलिंग से स्वतः मुक्त हो गई । लेकिन राजस्व रिकार्ड उक्त निर्णय निरस्त होने का तथा भूमि सिवाय चक से वापस खातेदार के नाम अंकित होने का नोट राजस्व रिकार्ड मे अंकित नही हो सका । उपरोक्त आराजी राजस्व रिकार्ड मे सिवाय चक दर्ज रहने से मोहनलाल

खातेदार के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही पूर्व मे भी तहसील पीपल्दा कर दिनांक 30.01.97 को बेदखली व तावान वसूली का आदेश दिया गया था जिसके विरूद्व मोहनलाल द्वारा मा0 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे अपील प्रस्तुत की जिसकी अपील सं0 54/97 है । उक्त अपील दिनांक 20.03.99 को स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 30.01.97 निरस्त करके नामा0 सं0 76 दिनांक 09.07.91 की पालना मे यदि भूमि अपी0 के खाते दर्ज नही की गई तो दर्ज की जावे । आदेश पारित किया गया है । जिसकी पालना राजस्व अधिकारियों द्वारा नही की गई और भूमि सिवाय चक दर्ज चली आ रही है । इसी कारण उक्त भूमि के संबंध मे धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है जो किसी प्रकार से अवैध है । अपीलान्ट उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार के रूप मे काबिज है । उक्त आराजी सरकारी भूमि नही है बल्कि महज पूर्व अधिग्रहण मे भूमि राजस्व रिकार्ड मे सिवाय चक दर्ज होने के कारण ही उक्त 91 की कार्यवाही की जा रही है । आदेश जैर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे पारित किया गया । अपीलान्ट को आदेश जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.03.2016 को पुलिस द्वारा गिरफतार करके ले जाने तथा उनके द्वारा आदेश जेर अपील के बारे मे बताने पर हुई इस प्रकार जानकारी होने पर मालूमात कर दिनांक 31.03.2016 को नकल प्राप्त करके यह अपील पेश है जो कि सर्व प्रथम जानकारी की दिनांक 22.03.2016 से नकल प्राप्त होने की दिनांक 31.03.2016 तक के दिन मुजरा करने पर अवधि मध्य पेश है । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट प्रस्तुत कर अपील की सर्व प्रथम जानकारी की दिनांक 22.03.2016 से नकल प्राप्त होने की दिनांक 31.03.2016 तक की डिले कन्डोन की जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के विरूद्व बेदखली तावान वसूली व सिविल कारावास सजा का आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट अप्रार्थी का बहस अपील में कथन है कि "अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर उक्त विवादित निर्णय पारित किया है और अपीलाण्ट को किसी प्रकार का कोई साक्ष्य, सबूत व जवाब पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है, और अपीलाण्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 22.01.91 द्वारा भूमि सिलिंग से मुक्त करना अंकित किया तथा मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 20.03.99 को भूमि अपीलांट के खाते दर्ज करने बाबत आदेश पारित करना अंकित किया व विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस मे बताया जिसकी पालना मे भूमि अपीलांट के खातेदारी मे दर्ज नही की जानी बताई । परन्तु वर्तमान मे भूमि सिवाय चक दर्ज है । जब तक भूमि रिकार्ड मे सिवाय चक दर्ज है उस पर अपीलांट को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही है तथा वह भूमि पर अतिक्रमी की हेसियत से ही काबिज माना जाएगा । यदि किसी आदेश से उसे विवादित आराजियात पर खातेदारी प्रदान की गई है तो उसे नियमानुसार सक्षम स्तर पर आवेदन कर खातेदारी प्राप्त करनी चाहिए थी । चूंकि वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे विवादित आराजियात सिवाय चक दर्ज है तथा अपीलांट अतिक्रमी की हेसियत से उस पर काबिज है । अतः नायब तहसीलदार पीपल्दा द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि होना नही पाई जाती है । परन्तु नरम रूख अपनाते हुए यदि भूमि पर कब्जा छोड दिया हो व पेनेल्टी राशि जमा करा दी हो तो सिविल कारावास की सजा 60 दिवस के लिए स्थगित की जाती है तथा अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि उसे नियमानुसार सक्षम स्तर पर आवेदन कर खातेदारी प्राप्त करने के उपरान्त ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त करें । जब तक अपीलान्ट को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो जाते तब तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही करें । अन्यथा अपीलाण्ट अप्रार्थी को उक्त शर्त के उल्लघंन पर इस निर्णय की दिनांक से **साठ दिवस** के लिऐं स्थगित की गई सिविल कारावास की सजा का आदेश पुनः प्रभावी होगा। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली में आदेशिका लिखते हुऐ विधि के अनुरूप नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लावें। अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रहेगा।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8, निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा